रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102021-230700
CG-DL-E-25102021-230700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 25, 2021/कार्तिक 3, 1943
No. 613] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2021/KARTIKA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि.758(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 137 के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चापत विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है,

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(7) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पर और उसके बाद, मोटरसाइकिल चालक को 0 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाते समय निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा, अर्थात् : -

(i) चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चे को मोटरसाइकिल के चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट है, जो समायोजित करने योग्य होगा, जिसमें वेस्ट से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और चालक द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स होंगे। इस तरह, बच्चे का ऊपरी धड़, चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होगा। इसकी एक विशेषता है जिसके द्वारा ध्यान रखा जाता है वह यह है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को वेस्ट के ऊपर से पार करना ताकि दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बन जाएं जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्देश निर्धारित किए जाने तक सेफ्टी हार्नेस सहित सुरक्षात्मक गियर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा:

सेफ्टी हार्नेस के विनिर्देश

(क) हल्का वजन, समायोज्य, जलरोधक और टिकाऊ;

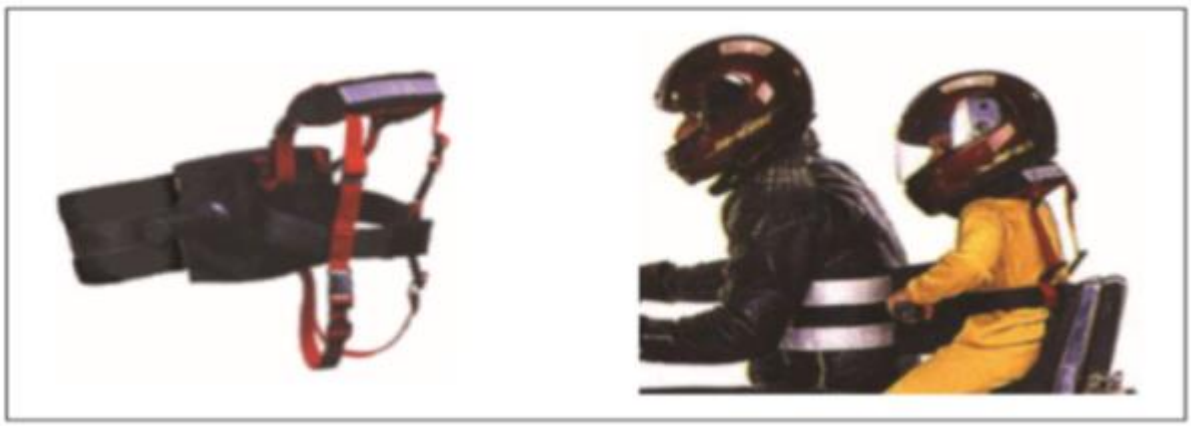
(ख) भारी नायलॉन/उच्च घनत्व फोम के साथ मल्टीफिलामेंट नायलॉन सामग्री;

(ग) 30 किलो तक भार वहन करने की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया जाए।

उदाहरण के लिए चित्र प्रस्तुत हैं-







(ii) क्रैश हेलमेट: चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 09 महीने से 4 वर्ष की आयु के पीछे बैठने वाले बाल सवारी को अपना क्रैश हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए जो [एएसटीएम 1447]/ [यूरोपियन (सीईएन)बीएस ईएन 1080/बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो और उसके सिर पर फिट बैठता हो जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्देश निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(iii) 4 वर्ष तक के बच्चे को पीछे बिठाने वाले मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[फा.सं.आरटी-11028/01/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या सा. का. नी. 590(अ), दिनांकित 2 जून 1989 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2021

G.S.R.758(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (aa) of section 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (….Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in Rule 138, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

(7) On and after one year from the date of publication of these rules, the driver of a motorcycle shall ensure the following safety measures while carrying a child between the age of 0 and 4 years, on the vehicle as a pillion , namely: -

(i) For children below four years, Safety harness shall be used for attaching the child to the driver of the motorcycle.

Explanation: Safety harness is a vest to be worn by the child, which shall be adjustable, with a pair of straps attached to the vest and forming shoulder loops to be worn by the driver. This way, the upper torso of the child is securely attached to the driver. A feature by which this is achieved is by attaching the straps to the back of the vest and crossing the straps over the vest so that two large crossing-over loops are formed that pass between the legs of the passenger. The protective gear including safety harness shall meet the following requirements till such time the specifications are prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standards Act 2016:

Specifications of Safety harness

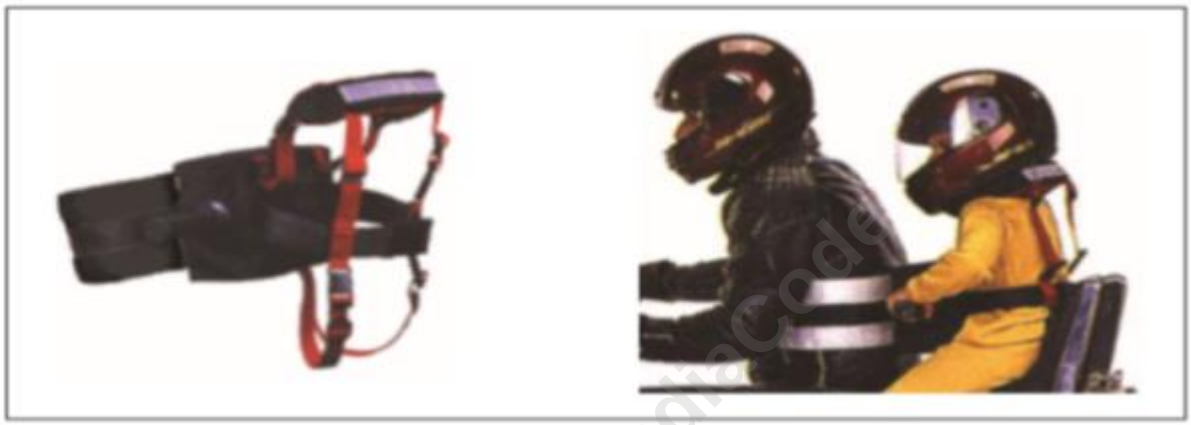
(a) Light weight, adjustable, waterproof and durable;

(b) Heavy nylon/ multifilament nylon material with high density foam;

(c) Shall be designed to hold weight upto 30 kg.

The figures are for illustration



(ii) Crash helmet: The driver shall ensure that the child pillion passenger aged between 09 months and 4 years must wear his/her own crash helmet which fits his/her head or wear bicycle helmet complying with [ASTM 1447]/ [European (CEN)BS EN 1080/BS EN 1078] till such time that the specifications are prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standards Act 2016.

(iii) The speed of the motorcycle with the child upto age 4 years being carried as a pillion, shall not be more than 40 kmph.

[F.No.RT-11028/01/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number …..…..(E), dated the …...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.25 16:52:08 +05'30'